आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/11/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 83/12** **अनिल कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2183/आपूर्ति दिनांक 24.7.12 के विरूद्ध दायर किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0 14654/2014 से संबंधित है। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 309/सी0 दिनांक 7.2.12 के आलोक में अनिल कुमार सिंह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 61/07 पंचायत मदारपुर प्रखंड मशरक, थाना मशरक से दिनांक 10.1.12 को जिला स्तरीय जॉच दल के द्वारा की गयी जॉच में पाई गयी अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। जॉच दल के द्वारा पाई गयी अनियमितता निम्नवत् थी, 1. विगत कई महीनो से राशन का वितरण नहीं किया गया है। 2. कूपन उपभोक्ताओं के पास ही पाया गया है। 3. केवल छठ के अवसर पर वितरण किया गया। 4. लाल कार्डधारी को 20 किलो ग्राम चावल 160 रूपये में दिया गया। 5. पीला कूपन पर 27 किलो ग्राम चावल 100 रूपये में दिया गया। 6. किरासन तेल प्रत्येक माह ढाई लीटर 17 रूपये की दर से दिया गया। उक्त संबंध में विक्रेता के द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा असंतोषजनक पाते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से अपनी दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं के बीच अनुदानित सामग्री का वितरण निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष किया जाता है। किसी-किसी माह में बिहार खाद्य निगम के	

गोदाम से विलम्ब से उठाव हुआ है तथा कुछ माह का खाद्यान्न व्ययगत हो गया है। संभव है उपभोक्ताओं के पास व्ययगत होने वाले माह का कूपन रह गया हो। छठ के अवसर पर ही केवल वितरण करने की बात सही नहीं है। विक्रेता के द्वारा नियमित रूप से सरकार से प्राप्त सामग्री का संबंधित उपभोक्ताओं के बीच वितरण किया जाता है। इनके गॉव में कई विरोधी हैं, जिनके द्वारा इन्हें परेशान करने की नीयत से इनके विरूद्व गलत आरोप लगाए जाते हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विक्रेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने कु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी का प्रश्नगत आदेश अपने आप में एक speaking order नहीं है। अभिलेख में संधारित कागजातों के परिसीलन से स्पष्ट है कि आरोप लगाने वाले व्यक्तियों का नाम आदेश में अंकित नहीं है। लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी विक्रेता के विरूद्व प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रेता के गॉव में उनके विरोधियों के द्वारा उनके विरूद्व आरोप लगाया गया है। अतः अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 06/न्या दिनांक 03/01/2015

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को LCR मूल में संलग्न कर भेजते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।